उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

आदेश

क्रमांक 638 / गोपनीय / 2018 जबलपुर, दिनांक 18 मई, 2018
दो–2–1 / 2018 (भाग–ए)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को निम्न सारणी के स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान में स्थानांतरित कर स्तम्भ (6) में निर्दिष्ट सिविल जिले के लिये जिला न्यायाधीश की हैसियत से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है। साथ ही दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 9 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उन्हें उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ (5) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सत्र न्यायालय में सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है:–

सारणी

क्र.	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	**श्री विमल प्रकाश (शुक्ला),**	रायसेन	गुना	गुना	सिविल जिला, गुना। जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में।
2	**श्री तारकेश्वर सिंह,** प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, म0प्र0, खण्डपीठ इंदौर, इंदौर।	इंदौर	मंदसौर	मंदसौर	सिविल जिला, मंदसौर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री प्रभात कुमार मिश्रा के स्थान पर।
3	**श्री प्रभात कुमार मिश्रा**	मंदसौर	सीधी	सीधी	सिविल जिला, सीधी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री प्रकाश चन्द्र गुप्ता (सीनियर) के स्थान पर।
4	**श्री रमेश कुमार सोनी**	भोपाल	श्योपुर	श्योपुर	सिविल जिला, श्योपुर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री आर0 एन0 चौधरी के स्थान पर।
5	**श्री संजीव कुमार सरैया**	शाजापुर	रायसेन	रायसेन	सिविल जिला, रायसेन। जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री विमल प्रकाश (शुक्ला) के स्थान पर।
6	**श्री बृजेन्द्र सिंह भदौरिया,** सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर।	जबलपुर	छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	सिविल जिला, छिन्दवाड़ा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री लीलाधर बौरासी के स्थान पर।

18.5.18

क्रमांक 639 / गोपनीय / 2018 जबलपुर, दिनांक 18 मई, 2018
दो–2–1 / 2018 (भाग–ए)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्टस् एक्ट 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों को उनके समक्ष स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तत्संबंधी स्तम्भ (6) में निर्दिष्ट विशेष न्यायाधीश की हैसियत से तथा मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक फा–1–2–90–इक्कीस–ब(एक), दिनांक 26–10–95, अधिसूचना क्रमांक फा0–1–2–90–इक्कीस–ब (एक), दिनांक 19–2–97 एवं क्रमांक 1–2–90–इक्कीस–अ(एक), दिनांक 7–5–99, क्रमांक फा01–2–90 / 21–ब (एक), दिनांक 4–5–2007 तथा अधिसूचना क्रमांक फा. क्र.1–2–90–21 / ब(एक)1511 / 2016, दिनांक 16–05–2016 द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 की संख्या 33) की धारा 14 के अधीन विनिर्दिष्ट सारणी के तत्संबंधी स्तम्भ (7) में निर्दिष्ट **विशेष न्यायालय / अनन्य विशेष न्यायालय** में पीठासीन अधिकारी के रूप में पदस्थ एवं नियुक्त करता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 की संख्या 2) की धारा 9 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में निर्दिष्ट अधिकारी को उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ (5) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिए सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिये अपर सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है :–

<u>सारणी</u>

क्र.	नाम	कहां से	कहां को	सत्रखण्ड का नाम	न्यायालय के संदर्भ में टिप्पणी	विशेष न्यायालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	**श्री रमेश कुमार श्रीवास्तव**	भिण्ड	शाजापुर	शाजापुर	पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री संजीव कुमार सरैया के स्थान पर।	शाजापुर
2	**श्री ललित किशोर**	सागर	टीकमगढ़	टीकमगढ़	पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से डॉ0 सुभाष कुमार जैन के स्थान पर।	टीकमगढ़
3	**श्री श्यामा चरण उपाध्याय**	भोपाल	भोपाल	भोपाल	पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री रमेश कुमार सोनी के स्थान पर।	भोपाल

क्रमांक 640 / गोपनीय / 2018 जबलपुर, दिनांक 18 मई, 2018
दो–2–1 / 2018 (भाग–ए)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों (अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीशों) को उनके समक्ष स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर, उक्त न्यायिक

18.5.18

अधिकारी के समक्ष स्तम्भ (6) में निर्दिष्ट अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 9 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ (5) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है:–

सारणी

क्र.	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	**श्री सुधीर मिश्रा**	रायसेन	जौरा	मुरैना	द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में।
2.	**श्री रतन कुमार वर्मा**	हरदा	मुरैना	मुरैना	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, मुरैना की हैसियत से।
3.	**श्री ओम प्रकाश सिंह रघुवंशी (जूनियर)**	मुरैना	चाचौड़ा	गुना	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में।
4.	**श्री मसूद अरशद खान**	ब्यावरा	सरदारपुर	धार	द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में।
5.	**श्री जयंत शर्मा**	नागदा	मंदसौर	मंदसौर	चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में।
6.	**श्री रूपम वेदी**	गुना	इंदौर	इंदौर	तेईसवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में।

टिप्पणी :–

1. **श्री रतन कुमार वर्मा,** प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा,
2. **श्री ओम प्रकाश सिंह रघुवंशी (जूनियर),** पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना,
3. **श्री मसूद अरशद खान,** द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ब्यावरा जिला राजगढ़,
4. **श्री जयंत शर्मा,** प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नागदा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, नागदा जिला उज्जैन,
5. **श्री रूपम वेदी,** चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुना,

का स्थानान्तरण **स्वयं के व्यय पर** किया गया है।

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,

18.5.18

(मो. फहीम अनवर)
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक 642/गोपनीय/2018 जबलपुर, दिनांक 18 मई, 2018
दो–2–1/2018 (भाग–ए)

प्रतिलिपिः–

1. उपनियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, अरेरा हिल्स हबीबगंज, भोपाल–6, को मध्यप्रदेश राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित ।

2. प्रमुख सचिव एवं विधि परामर्शी, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल–462004 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। वे कृपया **श्री तारकेश्वर सिंह**,प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, म0प्र0, खण्डपीठ इंदौर, इंदौर एवं **श्री बृजेन्द्र सिंह भदौरिया**,सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर की पदस्थापना नियमित न्यायालय में किये जाने के फलस्वरूप उनकी सेवाएं उच्च न्यायालय को सौंपे जाने संबंधी आदेश राज्य शासन से प्राप्त कर इस रजिस्ट्री को शीघ्र प्रेषित करने का कष्ट करें।

3. महालेखाकार,(लेखा/हकदारी) प्रथम (टी0एम0 अनुभाग), कार्यालय महालेखाकार, (लेखा/हकदारी) प्रथम, मध्यप्रदेश, लेखा भवन, झांसी रोड, ग्वालियर– 474002, को सूचनार्थ अग्रेषित ।

4. महालेखाकार (2) मध्यप्रदेश, ग्वालियर, को सूचनार्थ अग्रेषित।

5.

1. **श्री विमल प्रकाश (शुक्ला)**, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायसेन,
2. **श्री तारकेश्वर सिंह**,प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, म0प्र0, खण्डपीठ इंदौर, इंदौर,
3. **श्री प्रभात कुमार मिश्रा**, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मंदसौर,
4. **श्री रमेश कुमार सोनी**, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/जनजाति, (अत्याचार निवारण), अधिनियम, भोपाल,
5. **श्री संजीव कुमार सरैया**, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/जनजाति, (अत्याचार निवारण), अधिनियम, शाजापुर,
6. **श्री बृजेन्द्र सिंह भदौरिया**,सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर,
7. **श्री रमेश कुमार श्रीवास्तव**, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड,
8. **श्री ललित किशोर**, चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर,
9. **श्री श्यामा चरण उपाध्याय**, नवम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल,
10. **श्री सुधीर मिश्रा**, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायसेन,
11. **श्री रतन कुमार वर्मा**, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा,
12. **श्री ओम प्रकाश सिंह रघुवंशी (जूनियर)**, पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना,
13. **श्री मसूद अरशद खान**, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ब्यावरा जिला राजगढ़,
14. **श्री जयंत शर्मा**, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नागदा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, **नागदा** जिला उज्जैन,
15. **श्री रूपम वेदी**, चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुना,

को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु अग्रेषित। वे कृपया वर्तमान पदस्थापना के स्थान पर इस प्रकार कार्यभार सौंपें कि **वे अपनी पदस्थापना के नये स्थान पर दिनांक 04.06.2018 तक अवश्यमेव कार्यभार ग्रहण कर सकें**। कार्यभार सौंपने एवं ग्रहण करने संबंधी सूचना इस रजिस्ट्री को शीघ्र प्रेषित करें।

6 जिला एवं सत्र न्यायाधीश, **रायसेन/ मंदसौर/ भोपाल/ शाजापुर/ भिण्ड/ सागर/ हरदा/ मुरैना/ राजगढ़/ उज्जैन/ गुना** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। वे कृपया संबंधित अधिकारी को उनके वर्तमान पद का कार्यभार इस प्रकार सौंपने संबंधी निर्देश देवें जिससे कि वे अपनी पदस्थापना के नये स्थान पर **दिनांक 04.06.2018 तक अवश्यमेव कार्यभार** ग्रहण कर सकें। कार्यभार सौंपने एवं ग्रहण करने संबंधी सूचना इस रजिस्ट्री को शीघ्र प्रेषित करें।

7 जिला एवं सत्र न्यायाधीश, **सीधी/ श्योपुर/ रायसेन/ छिन्दवाड़ा/ टीकमगढ़/ धार/ इंदौर** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

8 जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ______________ को सूचनार्थ अग्रेषित।

18.5.18

9 **रजिस्ट्रार (आई0टी0), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को निम्न न्यायिक अधिकारियों को आदेश की प्रति ई–मेल द्वारा प्रेषित करने हेतु :–**

(1) जिला जज (निरीक्षण), उच्च न्यायालय प्रांगण, **जबलपुर**/ जिला जज (निरीक्षण), जे0ई0–1, जजेस एनक्लेव, रेसीडेन्सी ऐरिया, **इन्दौर** – 452001/ जिला जज (निरीक्षण), 28/बी, रेसकोर्स रोड, मेला ग्राउण्ड के सामने, **ग्वालियर** (म0प्र0) को सूचनार्थ अग्रेषित।

(2) प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर/इन्दौर को सूचनार्थ अग्रेषित।

(3) प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर, न्यू हाईकोर्ट बिल्डिंग, सिटी सेन्टर, ग्वालियर को सूचनार्थ अग्रेषित ।

(4) सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, 574, साउथ सिविल लाईन्स, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।

(5) प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, (सतर्कता)/ (न्यायिक)/ (I.L.R. & Examination), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।

(6) रजिस्ट्रार (Exam & Labour Judiciary)/ (जिला स्थापना)/ (आई0एल)/ (न्यायिक–1)/ (न्यायिक–2)/ (सतर्कता)/ रजिस्ट्रार/सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/ (प्रशासन), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।

(7) प्रभारी संचालक/अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।

10 रजिस्ट्रार (ई0)/लेखा अधिकारी/ बजट अधिकारी/ ज्वाइंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकाल)/ डिप्टी रजिस्ट्रार (न्यायिक–1)/ (न्यायिक–2), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।

11 रजिस्ट्रार–कम–माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के प्रमुख निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित।

12 माननीय न्यायाधिपति श्री ____________________ के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को माननीय न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित ।

13 माननीय न्यायाधिपति श्री ____________________ के निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर/इन्दौर को माननीय न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित ।

14 माननीय न्यायाधिपति श्री ____________________ के निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर/ग्वालियर को माननीय न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित।

15 रजिस्ट्रार जनरल के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।

16 अनुभाग अधिकारी, पेन्शन /बजट/ सहायक (कार्य)/ शिकायत/ वेतन निर्धारण (राजपत्रित)/ अग्रिम/ अवकाश (राजपत्रित)/ सिविल चेकर/ क्रिमिनल चेकर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।

टिप्पणी :– रजिस्ट्री पृष्ठांकन क्र. Reg (IT) (SA) /2018/368, दिनांक 01/03/2018 के द्वारा ट्रांसफर व पोस्टिंग संबंधी आदेशों की प्रिंटिंग, फोटोकॉपी एवं सायक्लोस्टाइल किया जाना बंद कर दिया गया है। अतः उक्त आदेश के तारतम्य में समस्त संबंधितों को सूचित किया जाता है कि वे आदेश की प्रति डाउनलोड करें व तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही का पालन सुनिश्चित करें।

18.5.18

(मो. फहीम अनवर)
रजिस्ट्रार जनरल